



कृषि विस्तार प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा का ग्यारहवां बैच (2017-18)



(दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम)

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)

(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का संगठन)

राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030, भारत.

दूरभाष: 91-40-24594500/509, फैक्स: 91-40-24015388

संस्थान



राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज) भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना 1987 में तेजी से बढ़ती हुई उन्नति तथा कृषि क्षेत्र की भिन्नताओं में कृषि विस्तार की चुनौतियों की प्रतिक्रिया के रूप में हुई है। भारतीय कृषि में वाणिज्य तथा विपणन अभिमुखता पर बढ़ती हुई दृष्टि के सा-साथ कृषि तकनीक में बढ़ती हुई क्लिष्टताओं ने कृषि विस्तार व्यवस्था के पुनराभिमुखीकरण तथा आधुनिकीकरण की ओर कदम बढ़ाने की मांग की है। इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा कार्मिकों के कौशलीय प्रशिक्षण द्वारा वर्तमान ढांचे में परिवर्तन लाने के लिए विस्तार व्यवस्था के प्रबंधन के प्रभावशाली तरीकों की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मैनेज की स्थापना की गयी है।

अपने अधिदेश के अनुसार, मैनेज, प्रशिक्षण, प्रबंध शिक्षा, अनुसंधान, परामर्श सेवा एवं सूचना सेवाओं में अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहा है।

मैनेज, केन्द्र प्रायोजित “विस्तार सुधार हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों का समर्थन” योजना के कार्यान्वयन को सुगम बना रहा है, जो कि सम्पूर्ण देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। मैनेज शैक्षणिक कार्यक्रम जैसे: **स्नातकोत्तर कृषि विस्तार प्रबंध डिप्लोमा (पीजीडीएईएम)**, ऑनलाईन पी जी डी ए ई एम- मूक्स, निवेश डीलरों के लिए कृषि विस्तार सेवा डिप्लोमा (देसी), प्रमाणित फार्म सलाहकार/प्रमाणित पशुधन सलाहकार (सी एफ ए) कार्यक्रम जो कृषि विस्तार कर्मियों को विशेषज्ञों के रूप में विकसित करेगा तथा स्नातकोत्तर प्रबंध डिप्लोमा (कृषि व्यापार प्रबंध) { (पीजीडीएम (एबीएम)) } भी चला रहा है।

स्नातकोत्तर कृषि विस्तार प्रबंध डिप्लोमा (पीजीडीएईएम)

किसानों की बड़ी संख्या को विस्तार सहायता उपलब्ध कराने में सरकारी विस्तार व्यवस्था मुख्य भूमिका निभा रहा है। अधिक संख्या के छोटे खेत, पैदावार की कमियां, इनपुट का उपयोगिता में असमानताएं और प्राकृतिक संसाधनों की हानि जैसे विषय भारतीय कृषि में विचारणीय विषय हैं जिसमें सरकारी विस्तार व्यवस्था मुख्य भूमिका निभा सकती है। भारतीय कृषि की व्यापकता एवं विभिन्नताओं के अनुरूप सरकारी विस्तार व्यवस्था को दृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विस्तार कर्मियों की अनुमानित संख्या 1,30,000 है, जो कृषि एवं तत्संबंधी क्षेत्रों में जिला एवं ब्लाक स्तरों पर कार्यरत है। विस्तार विकास कर्मियों को कृषि एवं तत्संबंधी क्षेत्रों में इच्छित परिवर्तनों को लाने के लिए औत्साहिक और उपयोगी ज्ञान के स्रोत के रूप में परिवर्तित करना होगा। भारत में कि विद्यमान विस्तार कर्मियों की क्षमता को मजबूत एवं वृद्धि करने की आवश्यकता है जिससे माप और भिन्नता के आधार पर मेल हो सके।



‘विस्तार व्यवस्था में व्यावसायिकता को प्रोत्साहित करना’

इसी प्रकार, निजी विस्तार क्षेत्र में कार्यरत कृषि व्यापार कंपनियों, किसान संगठन, कृषि-उद्यमि, इनपुट डीलरों, गैर सरकारी संगठनों एवं सहकारी संगठनों, की बड़ी संख्या है जो सरकारी विस्तार व्यवस्था के पूरक समर्थन के साथ साथ साझेदारी में भी निम्नस्तर से कार्य कर रहे हैं। इन निजी विस्तार कर्मियों को, अपनी सुपुर्दगी प्रणाली की प्रभावशालिता में वृद्धि लाने के लिए क्षमता निर्माण के माध्यम से सबल बनाने की आवश्यकता है।

सार्वजनिक और निजी विस्तार कर्मियों की सर्वोपरि महत्व को पहचानते हुए, मैनेज ने 2007 के दौरान दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से एक वर्षीय स्नातकोत्तर कृषि विस्तार प्रबंध डिप्लोमा (पीजीडीएईएम) को केन्द्र स्तर पर प्रायोजित "विस्तार सुधार हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रम समर्थन" के तहत प्रारंभ किया है। इस पाठ्यक्रम को कृषि व सहकारिता विभाग (डीएसी), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओए व एफडब्ल्यू), भारत सरकार द्वारा विस्तार सुधार योजना के तहत 60%, 90%, और 100% क्रमशः सामान्य राज्यों, उत्तर पूर्वी एवं तन हिमालय के पहाड़ी राज्यों तथा केन्द्र शासित राज्यों में दिया गया है। बाकि राशी का 40%, 10%, क्रमशः सामान्य राज्यों के लिए और उत्तर पूर्वी एवं तीन हिमाल के पहाड़ी राज्यों के राज्य सरकारों द्वारा योगदान किया जाता है।

पाठ्यक्रम का उद्देश्य

- विस्तार कर्मियों की तकनीकी- प्रबन्धकीय (टेक्नो-मैनेजीरियल) दक्षताओं में वृद्धि करना ।
- विस्तार कर्मियों को कृषि एवं तत्संबंधी क्षेत्रों के नवीन कार्यों से अवगत कराना ।
- विस्तार कर्मियों को भागीदारी निर्णायन हेतु नवीन उपकरणों तथा तकनीकों संबंधी ज्ञान प्रदान करना।
- कृषि मूल्य-श्रृंखला (एग्रि वैल्यू-चेन) में दक्ष बनाने के लिए विभिन्न विस्तार मॉडलों में गहनता विकसित करना ।

पाठ्यक्रम की रूपरेखा और विषय-वस्तु :

पाठ्यक्रम के 32 क्रेडिट होंगे और दो अर्धवार्षिकों में प्रदान किया जाएगा । प्रथम अर्धवार्षिकी में 14 क्रेडिट और द्वितीय अर्धवार्षिकी में 18 क्रेडिट होंगे । एक क्रेडिट अध्ययन 30 घण्टों के समान है । प्रथम अर्धवार्षिकी में पाँच पाठ्यक्रम होंगे जिनमें से प्रत्येक का एक **कोर्स** तथा एक **एसाईनमेंट** होगा । द्वितीय अर्धवार्षिकी में पाँच कोर्स और प्रत्येक के एक **एसाईनमेंट** सहित एक परियोजना कार्य भी होगा ।

पाठ्यक्रम, मुद्रित पठन सामग्री, ई-लर्निंग रिसोर्सेस (पूर्व-रिकार्ड किया गया डी वी डी मॉड्यूल) और लेक्चर सीरीज-सह सम्पर्क कक्षाओं से युक्त है । लेक्चर सीरीज-सह सम्पर्क कक्षाएं प्रत्येक अर्धवार्षिकी में पाँच दिनों के लिए समेति (SAMETI) या सम्बद्ध राज्य के किसी चुनी गई संस्था पर परीक्षा प्रारंभ होने के काफी दिन पहले आयोजित की जाएगी ।

सत्र i व ii हेतु पाठ्यक्रमों की रूपरेखा

सत्र - i

पाठ्यक्रम सं.	पाठ्यक्रम का शीर्षक*	क्रेडिट*
एईएम 101:	कृषि विस्तार प्रबन्ध की प्रस्तावना	(4 क्रेडिट)
एईएम 102:	कृषि नवोन्मेषण का संचार	(3 क्रेडिट)
एईएम 103:	विस्तार प्रबन्ध के सिद्धांत और पद्धति	(3 क्रेडिट)
एईएम 104:	कृषि विस्तार में सहभाग दृष्टिकोण	(2 क्रेडिट)
एईएम 105:	कृषि विस्तार में अनुसन्धान पद्धति	(2 क्रेडिट)

सत्र - ii

पाठ्यक्रम सं.	पाठ्यक्रम का शीर्षक*	क्रेडिट*
एईएम 201:	बाजार- उन्मुख विस्तार	(4 क्रेडिट)
एईएम 202:	कृषि व्यापार तथा उद्यमशीलता विकास	(3 क्रेडिट)
एईएम 203:	कृषि विस्तार में परियोजना प्रबंध	(2 क्रेडिट)
एईएम 204:	कृषि में सूचना और संचार तकनीकी	(3 क्रेडिट)
एईएम 205:	धारणीय आजीवीका में कृषि विकास	(3 क्रेडिट)
एईएम 206:	परियोजना कार्य	(3 क्रेडिट)

सामान्य सूचना:

योग्यता मापदण्ड :

- (1) विस्तार कर्मी जिन्होंने कृषि व तत्संबंधी क्षेत्रों जैसे बागवानी, पशु संवर्धन, मत्स्यपालन आदि, में स्नातक हैं और केन्द्र/राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के सरकारों या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में वर्तमान में कार्यरत इस कार्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु पात्र हैं। सरकारी विस्तार कर्मियों को **वरीयता दी** जाएगी। बीटीएम, एसएमएस, आत्मा और केवीके के कर्मचारी भी इस कार्यक्रम के लिए पात्र हैं।
- (2) कृषि, तत्संबंधी विषयों के स्नातक और कृषि व्यापार कंपनियों, एनजीओ, सहकारी किसान संगठन में कार्यरत स्नातक, कृषि-उद्यमी और इनपुट डीलर भी पात्र हैं।

सरकारी कर्मियों के लिए प्रवेश और शुल्क :

सरकारी विभागों के आवेदकों को, पीजीडीईएम में प्रवेश पाने हेतु अपने आवेदनों को अपने प्राधिकारियों के पास उस जिले के परियोजना निदेशक, आत्मा को अग्रेषित करने के निवेदन सहित प्रस्तुत करना होगा। आवेदनों की जाँच के पश्चात् परियोजना निदेशक उन्हें सम्बद्ध राज्य के निदेशक, समेति (SAMETI) को भेजेंगे। जहाँ कहीं भी आत्मा प्रकोष्ठ या समेति (SAMETI) की अभी स्थापना होना बाकि है, वहाँ के आवेदनों को सम्बद्ध राज्य के स्टेट नोडल अधिकारी (एसएनओ), विस्तार सुधार को भेजना होगा। निदेशक, समेति/एसएनओ द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों को 2017-18 बैच में प्रवेश के लिए मैनेज को अनुशंसा करेंगे।

इस कार्यक्रम के लिए, 60%, 90%, और 100% का **पाठ्यक्रम शुल्क** के लिए सामान्य राज्यों, उत्तर-पूर्वी व तीन हिमालय राज्य तथा केन्द्र शासित प्रांत क्रमशः विस्तार सुधार योजना के तहत भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं। राज्य का मिलान क्षेत्र 40%, और 10%, क्रमशः सामान्य राज्यों, उत्तर पूर्वी व तीन हिमालय राज्यों के लिए राज्य सरकारों द्वारा समितियों (SAMETI) को कॉन्टैक्ट कक्षाएं और परीक्षाओं के आयोजन के लिए दिया जाना है।

निजी प्रत्याशियों के लिए प्रवेश और शुल्क :

कृषि व्यापार कंपनियों, एनजीओ, सहकारी संस्थाओं में कार्यरत आवेदकों और कृषि-उद्यमियों, इनपुट डीलरों, प्रगतिशील किसान, निजी क्षेत्रों के कर्मचारी आदि., की श्रेणी में रहने वालों को पाठ्यक्रम शुल्क रु15,000/- एक किश्त में भुगतान करना होगा। **राशी का भुगतान, मैनेज हैदराबाद पर देय, डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में अपने आवेदन के साथ सीधे मैनेज, हैदराबाद को भेजना होगा।**

मूल्यांकन :

आवेदक का, लिखित परीक्षा व नियत कार्य (एसाईनमेंट) में उनके निष्पादन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। **प्रत्येक पाठ्यक्रम** हेतु लिखित परीक्षा 70 अंकों का और नियत कार्य 30 अंकों का होगा। **प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु लिखित परीक्षा तथा नियत कार्य दोनों को मिलाकर न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करना आवश्यक है।** **प्राजेक्ट कार्य में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करना होगा।** 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वालों को विशेष योग्यता (डिस्टिंक्शन) और 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों को प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। 2017-18 के आवेदक जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे उन्हें केवल वर्ष 2018-19 के I व II सेमिस्टर की परीक्षाओं में उपस्थित होने देंगे। 2018-19 के उपरांत कोई और अवधि नहीं दी जाएगी।

I और II सेमिस्टर पी जी डी ए ई एम की सप्लिमेंटरी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए:

- जो आवेदक सप्लिमेंटरी परीक्षा देना चाहता है उसे शुल्क रु.100/- प्रति विषय देना होगा।
- जो आवेदक किसी एसाईनमेंट को पुनः प्रस्तुत करना चाहते हैं या देर से प्रस्तुत करते हैं उसे शुल्क रु.50/- प्रति एसाईनमेंट देना होगा।
- परियोजना कार्य पुनः प्रस्तुत या देर से प्रस्तुत करने वाले आवेदक को शुल्क रु.75/- भरना होगा।

नियत कार्य (एसाईनमेंट)

पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में नियत कार्य को प्रस्तुत करना (एसाईनमेंट) अनिवार्य है। नियत कार्य को प्रस्तुत नहीं करने पर उसे अपूर्ण माना जाएगा। पाठ्यक्रम के अनुसार नियत कार्य विषयों को मैनेज वेबसाइट पर रखा गया है। प्रत्याशियों को सत्र समाप्ति परीक्षा में उपस्थित रहने के पूर्व नियत कार्य को प्रस्तुत करना होगा।

परियोजना कार्य

पाठ्यक्रम 206: परियोजना कार्य (3 क्रेडिट) पूर्ण करना पीजीडीईईएम सपन्न करने के लिए अनिवार्य है। आवेदकों को एईएम 206 की सीमा में से ए,बी,सी वर्ग में किसी एक विषय को चुनना होगा (विषय एवं निर्देश सूत्र मैनेज वेबसाइट में देखे जा सकते हैं)। विषय अपने कार्य क्षेत्र में तथा किसानों के लिए उपयोगिता और अपनी रुचि अनुसार लिया जा सकता है।

ए,बी,सी, वर्गों में से चुने गए विषय को परियोजना कार्य के रूप में क्षेत्र क्रिया कलाप (Field activity) के लिए लेना होगा जिसे आवेदक को अपने अधिकार क्षेत्र में क्रियान्वित कर किसानों/स्टेक होल्डरों के साथ क्षेत्र स्तर पर किए गए कार्य को उसकी किसानों की उपयोगिता सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। द्वितीय सत्र की परीक्षाओं से पहले परियोजना कार्य रिपोर्ट को जमा करवाना होगा। परियोजना कार्य रिपोर्ट हेतु 100 अंक निर्धारित हैं। परियोजना कार्य में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

परिणाम

पाठ्यक्रम का अंतिम परिणाम मैनेज वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा। मूल डिप्लोमा प्रमाणपत्रों को अंक तालिका के साथ सम्बंधित समेति (SAMETI) को भेजा जाएगा। यदि प्रत्याशी प्रमाण-पत्र खो देता है, तो उसे मैनेज, हैदराबाद के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से रु.500/- के भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता है।

वचन (अंडरटेकिंग) : पीजीडीईईएम के लिए पंजीकृत सरकारी विभाग के प्रत्याशियों को यह वचन देना होगा कि वे दो वर्षों की अवधि के भीतर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे अन्यथा सम्पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क अर्थात्, रु. 15,000/- उनके वेतन से वसूल किया जाएगा। इस वचन को आवेदन पत्र के साथ मैनेज को प्रायोजित प्राधिकारी/विभाग द्वारा भेजना होगा। पंजीकरण की वैधता सभी प्रत्याशियों हेतु केवल दो वर्षों के लिए होगी जिसमें निजी क्षेत्र के प्रत्याशी शामिल हैं और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में विस्तार सुधार योजना के तहत कार्यरत बी टी एम एवं एस एम एस के लिए दो साल हैं।

टिप्पणी: पंजीकरण के एक माह के पश्चात सरकारी कर्मियों के द्वारा पाठ्यक्रम से नाम वापसी के निवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी ऐसे निवेदनों को केवल आत्मा/समेती के माध्यम से भेजना होगा। सरकारी कर्मियों के आवेदनों को केवल उचित चैनल के माध्यम से पहुँचना

होगा और मैनेज को सीधे भेजे गये आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा । प्रत्याशियों का अंतिम प्रवेश, के बारे में विवेकाधिकार महानिदेशक, मैनेज को ही होगा।

शिक्षण माध्यम : अंग्रेजी/हिन्दी


आवेदनों को प्राप्त करने की **अंतिम तिथि 31-12-2017** है।

मैनेज वेबसाइट

यह वेबसाइट निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराती है :

1. प्रत्याशियों के प्रवेश पत्र और प्रवेश सूची
2. अंग्रेजी व हिन्दी में अध्ययन सामग्री विशेषज्ञों के द्वारा प्रत्येक विषय पर पूर्व रिकार्ड किये गये (वीडियो) लेक्चर उपलब्ध हैं।
3. नियत कार्य के विषय और-परियोजना रिपोर्ट के विषय
4. संपर्क कक्षाएँ, एसाइनमेंट, परियोजना कार्य और सत्रांत परीक्षाओं संबंधी निर्देश सत्र।
5. प्रश्न बैंक
6. परीक्षा सारणी
7. अंक तालिका और परिणाम

अधिक विवरणों के लिए कृपया सम्पर्क करें :

<p>टेली फ़ैक्स : 040-24016689 मोबाईल नं.: 7729991190 ई मेल : directoraem@manage.gov.in, priyack@manage.gov.in</p>	<p> निदेशक एवं प्रधान समन्वयक (पीजीडीईईएम) राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबन्ध संस्थान (मैनेज) राजेन्द्रनगर हैदराबाद - 500 030 वेबसाइट : www.manage.gov.in</p>
---	--

*अनिवार्य

9. शैक्षणिक योग्यताएं (साक्ष्यांवित प्रतियां संलग्न करें)

क्र. सं.	परीक्षा, स्नातक से प्रारंभ करें	उत्तीर्णता का वर्ष	महाविद्यालय	विश्वविद्यालय	श्रेणी/डिवीजन
1.	डिग्री (स्नातक) (.....)				
2.	स्नातकोत्तर (.....)				
3.	पीएचडी (.....)				

टिप्पणी: *बीएससी (कृषि), बी.वी.एस.सी., मात्सयकी. अन्य
**एमएससी (कृषि), एम.वी.एस.सी., एम. मात्सयकी.

10. अनुभव (वर्षों में) :

11. किस भाषा में आप अध्ययन सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं : अंग्रेजी हिन्दी

12. अ) वचन

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर प्रस्तुत की गयी सभी सूचना मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सही है। मैं पाठ्यक्रम के निर्बाध संचालन हेतु मैनेज द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियम व आचरण संहिता के प्रति बाध्य रहने के लिए सहमत हूँ।

आ) केवल सरकारी कर्मियों से वचन

मैं एतद्वारा वचन देता हूँ कि मैं पाठ्यक्रम के लिए दो वर्ष*/दो वर्षों के भीतर पीजीडीईएम को पूरा करूँगा। अन्यथा मैं मेरे नियंत्रक प्राधिकारियों को एतद्वारा अधिकृत करता हूँ कि मेरे वेतन से रु. 15,000/- सम्पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क वसूल करें।

(* बीटीएम, आत्मा और संविदात्मक कर्मचारियों)

प्रत्याशी का हस्ताक्षर,
दिनांक के साथ

13. प्रेषण प्राधिकारी

क) उच्च नियंत्रक प्राधिकारी के हस्ताक्षर
डाक पता (पिन कोड के साथ) और फोन नं.

ख) परियोजना निदेशक (एटीएमए) के हस्ताक्षर
डाक पता (पिन कोड के साथ) और फोन नं.

ग) निदेशक समेती/एसएनओ के हस्ताक्षर
कार्यालयीन मुहर एवं डाक पता (पिन कोड नं.)
ई मेल तथा कार्यालय फोन नं.

यहाँ आवेदन भेजें :

निदेशक एवं प्रधान समन्वयक (पीजीडीईएम)

मैनेज, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030

ई-मेल : directoraem@manage.govin